E-mail/Registered

प्रेषक,

आशा रानी सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7,
हरदोई।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
हरदोई।

विषयः- तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 12.02.2020 को शैक्षिक योग्यता में एल०एल०एम० की डिग्री समायोजित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को आवेदन किया गया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा स्वीकार करते हुए अधोहस्ताक्षरी की शैक्षिक योग्यता में एल०एल०एम० की डिग्री को समायोजित कर लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 शासन की ओर से जारी शासनादेश सं0-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टी0 सी0 (नियुक्ति अनुभाग-04 से दिनांक 13 अप्रैल 2018 को जारी) के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को अनुमन्य 03 अग्रिम वेतन वृद्धियां वेतन में लगाए जाने हेतु सक्षम को निर्देशित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीया,
30/6/22

दिनांक 30.06.2022
संलग्नक- यथोपरि।

(आशा रानी सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7,
हरदोई।

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, HARDOI
Endt. No. 1023/I-11-22 Dated. 30.6.22
Forwarded
District Judge
Hardoi
30-6-2022

APPROVED

OTHER SERVICES APPLICATION OF SMT. ASHA RANI SINGH

Case Id : S00001562020 | **Old Case Id :** 416 **Employee No. :** 6373

Application

1.	**Name of the Applicant**	SMT. ASHA RANI SINGH
2.	**Type of Application/Representation**	Inclusion of degree in service records of Judicial Officers.
3.	**Designation**	Spl. Judge (E.C. Act)
4.	**Application**	Inclusion of LL.M. Degree in Service record.
5.	**Date of Submission**	12/02/2020

Attachments

Attachment	Uploading Date
Letter with LL.M. Marksheet & Certificate.	12/02/2020

*Red background attachments are uploaded in return of objection.

Note for approval / remarks

Final Remark

Approved

Self Attested
28/6/22

संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91टी0सी0

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2018

विषयः- रिट याचिका संख्या-1649(एस बी)/2013 नीलकान्त मणि त्रिपाठी व 29 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017, रिट याचिका संख्या-678(एस बी)/2014 अभय प्रताप सिंह-II बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017 तथा रिट याचिका संख्या-1496 (एस बी)/2015 संजय शंकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के अनुपालन में उ0प्र0 न्यायिक सेवा के एलएल0एम0 उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियॉ स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 मई,2009 तथा सपठित शासन के पत्र संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 03-01-2013 द्वारा मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुति को दिनांक 21-03-2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियॉ प्रदान की गयी थीं।

2- इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-सी-19/2012 भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15-11-2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-03-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-03-2015 द्वारा 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विषयगत तीनों रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 08-05-2017 एवं 03-05-2017 के प्रस्तर-60 में निम्न व्यवस्था दी गयी :-

> 60. Accordingly,letter dated 03.01.2012 is quashed and the Government Orders dated 13.05.2009 and 27.03.2015 require clarification/modification to the extent they deny the benefit of three advance increments to those judicial officers who have

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

acquired/acquire higher qualification of LL.M. after joining the service, therefore, we direct that :-

i. The benifit of three advance increments shall also be admissible to the petitioners as well as all other similarly situated judicial officers in the State of U.P.

ii. The judicial officers who acquire the degree of LL.M. before joining the service shall be entitled to three additional increments from the date of joining the service or from the date of implementation of the Government Order, as the case may be, while those who have acquired/acquire the same after joining the service shall be entitled to these increments from the date of acquisition of the higher qualification of LL.M.

iii. The additional increments shall continue to be drawn by the judicial officers on their further promotion and/or placement in higher pay scale, as the case may be.

The writ petitions are decided accordingly. No order as to costs.

4- उपर्युक्त आदेश दिनांक 03-05-2017 में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार शासन द्वारा जारी किये गये अनुपालन आदेश संख्या-6/2018/149/दो-4-2018-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 03-04-2018 एवं तत्क्रम में जारी शुद्धि-पत्र संख्या-7/2018/149 ए/दो-4-2018-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 04-04-2018 को सम्यक् विचारोपरान्त मा0 न्यायालय के आदेश के अनुरूप न होने के कारण उसे एतद्द्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 03-05-2017 (जिसमें दिनांक 08-05-2017 को प्रदत्त दोनों आदेश समाहित हैं), के समादर में बिन्दुवार अनुपालन करते हुए श्री राज्यपाल निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित आदेश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं, उन्हें 03 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा।

(2) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के पूर्व एलएल0एम0 की उपाधि रखते हैं, उन्हें सेवा में आने के दिनांक से अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से, जो भी लागू हो, अथवा ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के उपरान्त एलएल0एम0 की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से 03 अतिरिक्त वेतनवृद्धियॉ देय होंगी।

(3) उपर्युक्त अतिरिक्त वेतनवृद्धियों का लाभ सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति/उच्च वेतनमान में जाने पर, जो भी स्थिति हो, मिलता रहेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-वे.आ. 2-206/दस-2018, दिनांक 13-04-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-8/2018/279(1)/दो-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार, ऑडिट, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) निदेशक, पैंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(7) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।

(8) समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पैंशन, उ0प्र0 ।

(9) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

(10) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, 2 व 3, उ0प्र0 सचिवालय।

(11) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5/ वित्त(वेतन-आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 सचिवालय।

(12) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 सचिवालय।

(13) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिता श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–650/दो–4–2013–9ज0/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊः दिनॉक: 02 जुलाई, 2013

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भॉति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या–4601/16–11–79–9–155–99, दिनांक 23–02–1980 द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–जी–2–1985/दस–2008–339/2008, दिनांक 11–12–2008 द्वारा सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड पे के आधार पर 01 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें निर्धारित की गयी हैं।

3– उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भॉति उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार वैयक्तिक वेतन की सुविधा की अनुमन्यता तात्कालिक प्रभाव से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान	सादृश्य ग्रेड पे	वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित धनराशि (रूपये)
1–	सिविल जज (जू0डि0)	27,700–44,700	5400	550
2–	सिविल जज (सी0डि0)	39,530–54,010	7600	750
3–	जिला जज	51,550–63,070	10,000	1,000

4– इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–4601/16–11–79–9–155–99, दिनांक 23–02–1980 व समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– G(2)491/X/13, दिनांक 20–06–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

.....2

संख्या–650(1)/दो–4–2013–9ज0/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव

रजिस्टर्ड

संख्या–1705/दो–4–2011–45(12)/91टी.सी.

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 03 जनवरी,2012

विषय– प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय परं पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–363/दो–4–2009–45(12)/91टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ चयन के सगय स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों/अधिकारियों को प्राप्त होगा। फिर भी आपके विभिन्न पत्रों में वांछित 05 बिन्दुओं के संदर्भ में बिन्दुवार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित सारिणीं में दिये गये यथोचित उत्तरानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कमांक	मा0 उच्च न्यायालय का प्रश्न	उत्तर
1.	क्या दिनांक 21.3.2002 को स्नातकोत्तर उपाधि धारक सेवारत एवं सेवानिवृत्त सभी न्यायिक अधिकारियों को 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	नहीं
2.	क्या दिनांक 21.3.2002 के बाद एलएल.एम. उपाधिधारक न्यायिक अधिकारियों को मी 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।	चयन के समय ही दिनांक 21.3.2002 एवं उसके बाद एलएल.एम उपाधि धारक उक्त अधिकारियों को ही उक्त सुविधा प्राप्त होगी
3.	क्या केवल ऐसे न्यायिक/उच्चतर न्यायिक अधिकारियों को जिन्होंने चयन के समय अपने आवेदन पत्र में जो कि लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रस्तुत किया गया था में स्नातकोत्तर उपाधि का जिक किया था उन्हें ही 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	जी हॉ।

क्या 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि ऐसे न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सीधी भर्ती के अधिकारियों को ही देय होगी जो दिनांक 21.3.2002 एवं उसके बाद चयन के समय एलएल.एम. डिग्री रखते थे?	जी हाँ
क्या उक्त शासनादेश संख्या–1363/दो–4–2009–45(12)/91टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में प्रदत्त 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि की सुविधा के साथ मंहगाई भत्ता भी देय होगा।	जी हाँ, चूंकि मंहगाई भत्ता वेतन का भाग होता है अतः ऐसे अग्रिम वेतन वृद्धि पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
संयुक्त सचिव।